

**फते अहकाम**

(नियम 20)

(राजस्व)

मुकाम

अदालत  
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम

वलयवीरो पुत्री सावणा हल्का 280P  
किस्म मुकदमा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं. 117 सन 2020 अधिनियम 1954

नम्बर व तारीख  
अहम की जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी किये

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय

11-09-2020

रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि

अप्रार्थी श्री वलयवीरो

पुत्री श्री सावणा जाति वारी

साकिन ठण्डी ने चक 29PPB

के मु.नं. 48 कि.नं. 7, 8, 9,

में कुल 0.570 हैक्टर/बीघा राजकीय भूमि पर

सम्बत 2017 (खरीफ) में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर

उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज

काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा

गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन

आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील में लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली

दिनांक 24-09-2020 को पेश हो

4-09-2020

पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी उपरिष्ठित होकर

नाजायज काश्त की पत्रावली ड्राप करवाने हेतु

पत्रावली पत्र पेश किया। प्रकरण में किली न्यायालय

का स्थगन आदेश ना देने के कारण अतिवृत्ति

घोषित किया जाता है, निर्णय अलग ले लिया

जाकर शामिल पत्रावली है। निर्णय अदालत

ILR./पटवारी हल्का को लिख जावे।

